न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/198
मिसल नम्बर–55 / 2024

विकास आयु 36 वर्ष पुत्र धन्नालाल धाभाई निवासी ग्राम देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) हाल निवासी 6–बी–10, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 27/1/2026

उपस्थितिः–

1.श्री तृप्ति गौरव बाहेती अधिवक्ता प्रार्थी ।

2.सरकार पैरोकार उप0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 274 पुराना 66 के खसरा नं0 205 की रकबा 0.76 है0 व खसरा नं0 92 की रकबा 0.11 है0 कुल दो किता की 0.87 है0 वाकै देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया, भू.अभि.नि. क्षैत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही हैं प्रार्थी की कृषि भूमि के अडवा ही समीपस्थ कृषि आराजी खसरा नं0 93 व खसरा नं0 760 / 93 स्थित है, जो सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज है, उक्त भूमि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि से लगी हुई भूमि है तथा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता बरसो से उक्त दोनो सरकारी सिवायचक भूमियो पर से होकर के चला आ रहा है, परन्तु अभी हाल में ही कुछ लोगो द्वारा उक्त सरकारी सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है और प्रार्थी की उक्त उपर वर्णित भूमि पर आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर बंद कर दिया गया हैं। प्रार्थी की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नं0 93 व खसरा नं0 760 / 93 प्रार्थी की भूमि के समीप है और प्रार्थी अपनी उक्त आराजी खसरा नं0 92 की रकबा 0.11 है0 भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नं0 93 व

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

खसरा नं0 760/93 की भूमि पर से ही है जिस पर प्रार्थी बरसों से खसरा नं0 93 व खसरा नं0 760/93 की भूमि से अपनी कृषि आराजी पर आता जाता व कृषि यन्त्र व उपकरण लाता ले जाता रहा है, परन्तु कुछ लोगो द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से नाजायज रूप से अतिक्रमण कर प्रार्थी के खेत पर जाने वाले उक्त रास्ते को अवरूद्ध करते हुऐ रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपने खेत पर आ जा पा रहा है और अपनी काश्तकारी का कार्य सुचारू रूप से नही कर पा रहा है, ना ही अपने खेत पर कोई कृषि यन्त्र ले जा पा रहा है, जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना कराना पड रहा है, तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी का खेत पडत पडा हुआ है। प्रार्थी पैशे से काश्तकार है, उपरोक्त आराजीयात पर काश्त करने से ही प्रार्थी अपना तथा अपने परिवारजनों का पालन पोषण कर रहा है। उपरोक्त भूमि ही प्रार्थी के जीविकोपॉर्जन का एक मात्र स्त्रोत है, यदि उपरोक्त खसरा नं0 की भूमि पर से अतिक्रमियों को बेदखल कर रास्ते का खुलासा नहीं किया जाता है, तो प्रार्थी तथा उसके परिवारजनों का भूखा मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण करने वाले लोगो को समझाते हुऐ कहा भी व निवेदन भी किया गया कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने का रास्ता उक्त लोगो द्वारा भूमि खसरा सं0 93 व 760/93 को खुलासा नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी के खेत पर आने जाना का रास्ता उक्त भूमि पर से होकर ही है, जिसे अतिक्रमियो के द्वारा रास्ता अवरूद्ध/बंद कर दिये जाने के कारण प्रार्थी अपने खेत पर आने व जाने में परेशानी आ रही है, प्रार्थी अपनी आराजी का समुचित रूप से उपयोग–उपयोभ नहीं कर पा रहा है और ना ही समुचित रूप से कृषि कार्य कर पा रहा है तथा प्रार्थी ने अपने खेत पर आने जाने के लिए रास्ते की मांग की गयी और यह भी निवेदन किया जिस पर अतिक्रमणकारी लोग इसके लिए तैयार नहीं हुऐ, इस कारण से प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिए उक्त सरकारी सिवायचक भूमि में से 8 गुणा 2 = 16 फुट या 6 गुणा 2 = 12 फुट रास्ता देवे, जिसकी ऐवज में प्रार्थी, अप्रार्थी को डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है। इस प्रकार प्रार्थी को उसके खेत पर आने जाने का रास्ता जो कि प्रार्थी के खेत पर आने जाने वास्ते बरसो से बना हुआ है और उक्त रास्ता ही एक मात्र रास्ता है, परन्तु अतिक्रमियों द्वारा अपने अतिक्रमण हटाने से इन्कार करते हुऐ आराजी खसरा नं0 93 और 760/93 में से देने के बजाय उल्टा प्रार्थी के साथ लडाई–झगड़ा व गाली–गलोच करने पर आमदा होते हुऐ रास्ता देने से इन्कार कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपने ही खेत पर आ जा नहीं पा रहा है और ना ही कोई काश्त कर पा रहा है, जिसके कारण प्रार्थी का खेत पडत पडा हुआ है और प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान के साथ साथ उसकी आजीविका भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और प्रार्थी व उसके परिवार के भूखो मरने की नौबत आ जाएगी। प्रार्थी के पास अपने खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि पर आने जाने तथा काश्त करने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। इस कारण से प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व वाहन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं0 93 व खसरा नं0 760/93 की भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है, जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने को बाध्य होना पडा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 274 पुराना 66 के खसरा नं0 205 की रकबा 0.76 है0 व खसरा नं0 92 की रकबा 0.11 है0 कुल दो किता की 0.87 है0 वाकै देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पहुंचने के लिए कृषि उपकरण उपज व कृषि साधन लाने व ले जाने के लिए आम रास्ते से सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नं0 93 व खसरा नं0 760/93 में से 16 फीट अथवा 12 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाकर तथा उक्त रास्ते को लम्बाई चौडाई अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकित किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित फरमाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी प्रदान फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी/तहसीलदार ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि वादी ख0नं0 92 में जाने हेतु ख0नं0 760/93 में से रास्ता चाहता है। उक्त ख0नं0 महिला बाल विकास विभाग (99 वर्षिय लीज) दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0नं0 का नजरी नक्शा निम्न प्रकार है। ख0नं0 92 रकबा 0.11 में मौके पर बबूल उगे हुए है संवत 2080–81 रबी व खरीफ गिरदावरी संलग्न है। वादी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त मौके पर ख0नं0 413/93 में पीछे तक रास्ता बना हुआ है जो ख0नं0 93 में से होकर ख0नं0 92 तक मिलता है। मौके पर ख0नं0 93 के उतरी कोने व 91 के दक्षिणी कोने के बीच में से रास्ता निकल रहा है जो लगभग 5–6 फीट चौड़ा है दोनो कोनो पर पक्के आवासीय मकान बने हुए है उक्त रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। ख0नं0 93 नगर विकास न्यास व ख0नं0 413/93 प्राथमिक विद्यालय देवली मच्छियान दर्ज रिकार्ड है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया है कि सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नं0 93 व खसरा नं0 760/93 में से 16 फीट अथवा 12 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाकर तथा उक्त रास्ते को लम्बाई चौडाई अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकित किये जावे।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही हेतु लगभग 5–6 फीट के मार्ग की आवश्वयकता होती है एवं कृषि कार्य हेतु प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन व खरीफ गिरदावरी संलग्न है। वादी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त मौके पर ख0नं0 413/93 में पीछे तक रास्ता बना हुआ है जो ख0नं0 93 में से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रास्ता दर्ज है मौके पर प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन व खरीफ गिरदावरी संलग्न है। वादी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त मौके पर ख0नं0 413/93 में पीछे तक रास्ता बना हुआ है जो ख0नं0 93 में से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है। मौके पर उक्त रास्ता खसरा नं0 92 तक कायम है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था। उक्त प्रचलित रास्ते से समीपस्थ सभी खसरा नम्बरान पर सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही पाते है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे ख0नं0 413/93 में पीछे तक रास्ता बना हुआ है जो ख0नं0 93 में से प्रचलित रास्ते का प्रयोग करे। प्रचलित रास्ते के अवरूद्ध होने की स्थिति में प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा